सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
चैत्र 24, सोमवार शाके 1942- अप्रेल 13, 2020 *Chaitra 24, Monday , Saka 1942- April 13, 2020*	

भाग 1 (क)
नियुक्तियां एवं छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2020

एफ. 89(3)उ0मा0वि/उ0सं0/06– IV:-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उप धारा (1-ए) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अभिशंषा के अनुसार राज्य सरकार **श्री जैनेन्द्र कुमार जैन**, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर (प्रथम) को "स्थानान्तरण पर नियुक्ति" के जरिए अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, झालावाड के पद पर नियुक्त करती है।

श्री जैनेन्द्र कुमार जैन की स्थानान्तरण पर नियुक्ति जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर (प्रथम) के अध्यक्ष के रूप में मूल पदस्थापन स्थान से कार्यभार संभालने की तिथि से निरन्तरता में पाँच वर्ष की अवधि या उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक; जो भी पहले हो, के लिए ही होगी। श्रीमान को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय नहीं होगा।

श्री जैनेन्द्र कुमार जैन की नियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तें उनकी नियुक्ति की पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2016 के अनुसार ही होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सिद्धार्थ महाजन,
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।